

धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर

चर्चा में क्यों?

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने [धार्मिक स्थलों](#) पर लाउडस्पीकर के लिये स्थायी [ध्वनिप्रदूषण](#) नियंत्रण उपायों की जरूरत पर जोर दिया।

मुख्य बंदि

- महत्त्वपूर्ण नरिदेश
 - मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को धार्मिक और सार्वजनिक आयोजनों में ध्वनिस्तर को तय मानकों के अनुरूप रखने के नरिदेश दिये।
 - साथ ही उन्होंने धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकरों के इस्तेमाल को लेकर स्थायी समाधान सुनिश्चित करने के भी नरिदेश दिये।
- हाईकोर्ट का नरिणय
 - न्यायालय ने स्पष्ट कथिा कि [प्रार्थना के लिये लाउडस्पीकर का उपयोग कोई कानूनी अधिकार नहीं है](#), क्योंकि इससे अन्य लोगों को असुविधा हो सकती है। अतः [लाउडस्पीकर का प्रयोग अधिकार की श्रेणी में नहीं आता](#)।
 - पूर्व में इलाहाबाद [उच्च न्यायालय](#) ने भी धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकरों के उपयोग को लेकर एक महत्त्वपूर्ण नरिणय दिये है।
- ध्वनिप्रदूषण
 - किसी भी प्रकार की [असहज या अत्यधिक तेज आवाज](#) को ध्वनिप्रदूषण कहा जाता है।
 - यह अनयिमति कंपन वाला शोर होता है, जो [सुनने में अपरयि](#) लगता है।
 - ध्वनिकी तीव्रता को [डेसबिल \(dB\)](#) में मापा जाता है और इसके स्तरों को नरिधारित करने के लिये एक [डेसबिल पैमाना](#) प्रयोग कथिा जाता है।
 - **20 dB** तक की ध्वनितीव्रता को [फुसफुसाहट](#) के समान माना जाता है।
 - [वशिव स्वास्थ्य संगठन \(WHO\)](#) के अनुसार, **70 dB से कम की ध्वनि** तीव्रता जीवित प्राणियों के लिये हानिकारक नहीं होती, भले ही वह कतिनी भी लंबी अवधितक बनी रहे।
 - हालाँकि, यदि कोई व्यक्ता **85 dB से अधिक के शोर के संपर्क में** लगातार 8 घंटे से अधिक समय तक रहता है, तो यह स्वास्थ्य के लिये जोखमिपूर्ण हो सकता है।
 - ध्वनिप्रदूषण के मुख्य स्रोतों में [तेज संगीत](#), [परविहन](#), [नरिमाण कार्य](#) आदि शामिल हैं, जो मानव जीवन पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं।
 - इसके दुष्प्रभावों में [उच्च रक्तचाप](#), [श्रवण विकलांगता](#), [नींद संबंधी विकार](#) और [हृदय रोग](#) शामिल हैं।